प0सं0: /व्यापारी पंजीयन/ज्वाइण्ट कमिश्नर(GST)/2019-20/ 732 /वाणिज्य कर।
2223025

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक, 22, नवम्बर, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील),
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कार्पो0सर्किल/टैक्स ऑडिट)
समस्त डिप्टी कमिश्नर,
समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषयः- जी0एस0टी0 पंजीयन में वृद्धि हेतु विशेष अभियान के संबंध में कार्ययोजना।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12.11.2019 को आयोजित वाणिज्य कर विभाग के एडीशनल कमिश्नर्स तथा दिनांक 20.11.2019 को आयोजित ज्वाइण्ट कमिश्नर्स की समीक्षा बैठक में राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के दृष्टिगत प्रदेश में वर्तमान में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 14.88 में बढोत्तरी किए जाने पर बल दिया गया है तथा प्रदेश के प्रत्येक अंचल विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं प्रत्येक जनपद के छोटे-बडे बाजारों के स्थानीय व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण तथा स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यापारीगण के सहयोग से अपंजीकृत व्यापारियों एवं उद्यमियों को जी0एस0टी0 कर प्रणाली की विशेषताओं, जी0एस0टी0 पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियों को होने वाले लाभ से अवगत कराते हुए अधिक से अधिक अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीयन हेतु प्रेरित करके दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 25 लाख किये जाने के निर्देश दिये गये है।

शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य के पंजीयन बेस में वृद्धि हेतु निम्न कार्ययोजना के अनुरूप कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं-

1. प्रत्येक संभाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक खण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इनके अधीन आने वाले वार्डों की संख्या, 2 हजार से अधिक जनसंख्या के ग्राम पंचायतो, प्रत्येक खण्ड के अधिक्षेत्र में स्थित प्रमुख बाजारों की सूची दिनांक 22.11.2019 तक संकलित करायेंगे।
2. प्रत्येक संभाग के प्रत्येक खण्ड कार्यालय में चिन्हित सभी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इनके अधीन आने वाले वार्डों की संख्या, 2 हजार से अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायतो तथा प्रमुख बाजारों में असिस्टेण्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी के नेतृत्व में कुशल तृतीय श्रेणी कार्मिकों की टीम द्वारा भ्रमण किया जाएगा। इस भ्रमण के दौरान संबंधित बाजारों में कुल व्यापारियों की संख्या, अपंजीकृत व्यापारियों की संख्या, बाजार के प्रमुख व्यवसाय से संबंधित आँकड़े संकलित किये जायेंगे। **(प्रारूप-1)**

   2.1 विभागीय टीम के इस भ्रमण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रान्त की व्यापारिक परिस्थितियों के सामान्य आकलन हेतु डाटा संग्रहण है। आवश्यकतानुसार विभागीय टीम द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों से विनम्रतापूर्वक कुछ सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी, एकरूपता की दृष्टि से भ्रमण कार्यक्रम के दौरान अपंजीकृत व्यापारियों से संकलित की जाने वाली सूचनाओं का प्रारूप संलग्न है। वांछित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में एक शीट पर संकलित की जाएंगी, इस शीट पर भ्रमण टीम के सदस्यों का नाम, संबंधित कस्बे/बाजार का नाम, भ्रमण का दिनांक भी अंकित किया जाएगा। **(प्रारूप-2)**

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

2.2 भ्रमण कार्यक्रम के दौरान विभागीय टीम द्वारा स्थानीय व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिगण तथा स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठित व्यापारीगण का सहयोग प्राप्त करके अपंजीकृत व्यापारियों की पहचान की जाएगी तथा अपंजीकृत व्यापारियों को जी0एस0टी0 कर प्रणाली की विशेषताओं तथा जी0एस0टी0 पंजीयन से होने वाले लाभ तथा छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए लागू कम्पोजीशन स्कीम एवं अत्यंत सरल रिटर्न प्रारूप सहज एवं सुगम के संबंध में अवगत कराते हुए उन्हें जी0एस0टी0 पंजीयन प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। भ्रमण के दौरान विभागीय टीम द्वारा लीफलेट्स/हैण्डबिल का वितरण किया जाएगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।

2.3 खण्ड स्तर पर इस समस्त प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा की जाएगी। खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा अपेक्षाकृत बडे कस्बों में भ्रमण टीम का नेतृत्व भी किया जाएगा। बिन्दु संख्या 2.1 में अंकित दैनिक शीट भ्रमण के अगले दिन खण्ड के डिप्टी कमिश्नर को उपलब्ध करा दी जाएगी। खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा खण्ड कार्यालय में प्रतिदिन की सूचना की फीडिंग मुख्यालय द्वारा तैयार किये गये ऑनलाईन माड्यूल में सुनिश्चित करायी जाएगी। खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा फीडिंग हेतु भ्रमण टीम से अलग तृतीय श्रेणी कार्मिक नामित किये जाएंगे। जिन खण्ड कार्यालयों में तृतीय श्रेणी कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, उन कार्यालयों की डाटा फीडिंग हेतु ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)/ एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 द्वारा अपील, आडिट, राज्य प्रतिनिधि आदि कार्यालयों से कार्मिक उपलब्ध कराये जायेंगे।

2.4 सम्भाग स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया की दैनिक मॉनिटरिंग संभाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा की जाएगी। ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा संभाग के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा। संभाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा इस कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों का भ्रमण किया जाएगा। जोन के एडीशनल कमिश्नर द्वारा इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग सप्ताह में दो बार की जाएगी।

2.5 यह पूरी प्रक्रिया दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पंजीकृत, अपंजीकृत व्यापारियों की संख्या, उनके व्यापार की प्रकृति, प्रमुख व्यापरिक वस्तु/सेवा का नाम तथा अपंजीकृत व्यापारियों की अनुमानित टर्नओवर से संबंधित डाटा संकलित कर लिया गया है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक खण्ड की प्रतिदिन की गणनाशीट को बाइण्ड कराकर संकलित कर लिया जएगा।

2.6 विभाग की प्रत्येक लोकेशन पर कम्प्यूटर आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करते हुए पंजीयन हेल्प डेस्क तत्काल प्रभाव से संचालित की जायेगी। पंजीयन हेल्प डेस्क के माध्यम से इच्छुक व्यापारियों के पंजीयन प्रार्थना पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग सुनिश्चित करायी जायेगी। प्रत्येक खण्ड के अधिक्षेत्र में आने वाले विभिन्न अंचलों में स्थित NSDL केन्द्रों एवं जनसेवा केन्द्रों (Common Service Center) से विभागीय भ्रमण टीम द्वारा सम्पर्क कर इन केन्द्रों के माध्यम से भी पंजीयन प्रार्थना पत्रों के ऑनलाइन अपलोडिंग की व्यवस्था करायी जायेगी तथा खण्ड के अधिक्षेत्र में स्थित NSDL केन्द्रों एवं जनसेवा केन्द्रों (Common Service Center) के सम्बंध में स्थानीय व्यापार मण्डलों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को अवगत कराया जायेगा।

2.7 इस प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी तथा उत्पीडन की शिकायतों का सक्षम स्तर से त्वरित संज्ञान लिया जाएगा।

3. राज्य के पंजीयन बेस में वृद्धि की दृष्टि से अन्य विभागों से सूचना संकलन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.1 प्रत्येक संभाग में कार्यरत वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा जनपद/संभाग स्तर पर पॉवर कार्पोरेशन, मण्डी परिषद, लेबर, ड्रग कन्ट्रोलर, माईनिंग, शॉप स्टेबलिशमेन्ट अधिनियम, नगर पंचायत, नगर निगम, बॉट माप, मार्केटिंग, आपूर्ति आदि विभागों से व्यापारिक गतिविधियों से सम्बंधित डाटा संकलित किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

3.2 डिप्टी कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा अन्य विभागों से संकलित डाटा मुख्यालय द्वारा निर्धारित एक्सेल प्रारूप प्रतिदिन फीड कराया जायेगा। अन्य विभागों से प्राप्त डाटा की फीडिंग के समय डाटा के स्रोत का उल्लेख अवश्य किया जायेगा। अन्य विभागों से डाटा संकलन तथा एक्सेल प्रारूप में फीडिंग का कार्य दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। (प्रारूप–3)

3.3 एक्सेल शीट में फीड डाटा का मिलान प्रांत में पंजीकृत व्यापारियों के डाटा बेस से किया जायेगा तथा अपंजीकृत व्यापारियों की खण्डवार/बाजारवार सूची तैयार कर ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के माध्यम से सम्बंधित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर को प्राप्त करायी जायेगी। यह कार्य दिनांक 15 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। (प्रारूप–4)

3.4 इस कार्य की दैनिक मॉनिटरिंग ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा की जायेगी। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) द्वारा इस कार्य की मॉनिटरिंग सप्ताह में दो बार की जायेगी।

4. दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक प्रत्येक जोन, संभाग एवं खण्ड में पंजीयन जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा।

4.1 प्रत्येक संभाग में दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 तक एक बडी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जोन के प्रत्येक जनपद में दिनांक 25 दिसम्बर, 2019 तक एक मेगा सेमिनार आयोजित की जाएगी। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारीगण, मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, व्यापारमण्डलों के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, प्रतिष्ठित व्यापारीगण को आमंत्रित किया जाएगा। मेगा सेमिनार में जोन के 10 बडे करदाताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।

4.2 प्रत्येक संभाग के प्रत्येक खण्ड में चिन्हित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, इनके अधीन आने वाले वार्डों की संख्या, 2 हजार से अधिक जनसंख्या के ग्राम पंचायतो, प्रत्येक खण्ड के अधिक्षेत्र में स्थित प्रमुख बाजारों में दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक नियमित रूप से गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इन गोष्ठियों में सम्बन्धित बाजार के चिन्हित अपंजीकृत व्यापारियों को उनके संकलित मोबाईल नम्बर पर पंजीयन जागरूकता गोष्ठी की तिथि, स्थान एवं समय की सूचना अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी।

4.3 जोन स्तर पर सेमिनार्स के आयोजन में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(अपील) द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। संभाग स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/कार्पो0 सर्किल/टैक्स ऑडिट) द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। खण्ड स्तर पर आयोजित कार्यशालाओं में डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेण्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी(वि0अनु0शा0/सचल दल/टैक्स ऑडिट) द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा।

4.4 पंजीयन जागरूकता गोष्ठियों में पंजीयन हेतु इच्छुक सभी व्यापारियों के पंजीयन प्रार्थना–पत्र अपलोडिंग की व्यवस्था की जाएगी तथा मौके पर ही इच्छुक व्यापारियों के पंजीयन प्रार्थना–पत्र ऑनलाईन अपलोड कराये जाएंगे। पंजीयन जागरूकता गोष्ठियों के दौरान उपस्थित व्यापारीगण को रिटर्न फाईलिंग की प्रक्रिया तथा नये रिटर्न सिस्टम की विशेषताओं से भी अवगत कराया जाएगा।

4.5 प्रतिदिन प्रत्येक खण्ड में प्राप्त नये पंजीयन प्रार्थना–पत्रों की सूचना ऑनलाईन माड्यूल में फीड की जाएगी।

4.6 इस प्रक्रिया की खण्ड स्तर पर दैनिक मॉनिटरिंग डिप्टी कमिश्नर द्वारा तथा संभाग स्तर पर दैनिक मॉनिटरिंग ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक) द्वारा की जाएगी। जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग सप्ताह में दो बार की जाएगी।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

4.7 जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के पदाधिकारीगण एवं मण्डलायुक्त तथा सम्भागीय ज्वाइण्ट कमिश्नर्स द्वारा संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर जी0एस0टी0 पंजीयन के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से अवगत कराया जाएगा तथा अपेक्षित सहयोग हेतु अनुरोध किया जाएगा।

5. आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय द्वारा इस संबंध में वांछित मॉड्यूल डेवलप कर लाईव किया जाएगा। संख्या अनुभाग, मुख्यालय इस पूरी प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा तथा प्रतिदिन की प्रगति से कमिश्नर, वाणिज्य कर तथा शासन को अवगत कराया जाएगा।

6. पंजीयन जागरूकता एवं पंजीयन वृद्धि कार्यक्रम उक्त कार्ययोजना के अनुरूप समयबद्ध संचालित किया जाएगा तथा किसी भी स्तर पर शिथिलता की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार पंजीयन जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में सभी स्टेकहोल्डर्स को अवगत कराते हुए स्थानीय स्तर पर सम्यक प्रचार–प्रसार एवं समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

Scanned with CamScanner